साक्षर भारत

कानूनी साक्षरता शृंखला - 2

और बात बन गई

गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध)
अधिनियम 1994, संशोधित अधिनियम 2003

आभार

साक्षर भारत कार्यक्रम सितम्बर 2009 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत देश के निम्न महिला साक्षरता दर वाले 410 जिलों को सम्मिलित किया गया है। साक्षर भारत कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय है। कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता के साथ-साथ समतुल्यता कार्यक्रम, कौशल विकास व सतत् शिक्षा को भी जोड़ा गया है।

साक्षरता को शिक्षार्थियों/लाभार्थियों के दैनिक जीवन से अधिक जुड़ा हुआ व रोचक बनाने के उद्देश्य से इन्टरपर्सनल मीडिया कैम्पेन प्रारंभ किया गया है। कैम्पेन में जिन प्रमुख विषयों पर बल दिया जा रहा है उनमें कानूनी साक्षरता भी एक प्रमुख विषय है।

कानूनी साक्षरता की जानकारी सहज रूप में जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कानूनी साक्षरता शृंखला का निर्माण किया गया है। कानूनी साक्षरता सामग्री का निर्माण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यशाला में राज्य संसाधन केन्द्र, इंदौर, भोपाल, रांची, पलामू के साथियों द्वारा विषय विशेषज्ञों तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के मार्गदर्शन में किया गया है।

कानूनी साक्षरता सामग्री के निर्माण में न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार व यूएनडीपी के A2J प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट टीम द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया व सामग्री का अनुमोदन न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण सभी सहयोगी संस्थाओं/विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता है। आशा है कि यह सामग्री कानूनी साक्षरता के प्रति जन सामान्य में कानूनी जागरूकता लाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नईदिल्ली

और बात बन गई

राधा और रानी पक्की सहेलियां थीं। दोनों साथ-साथ पढ़ीं। साथ-साथ बड़ी हुईं। राधा की शादी तय हुई तो रानी खुश भी हुई और दुखी भी। दोनों को एक-दूसरे से बिछुड़ने का गम था।

कुछ दिन बाद राधा की शादी हो गई। शादी के बाद राधा पीहर आती तो दोनों घंटों बातें करतीं। राधा अपने घर-परिवार की बातें बताती। रानी गांव की और खेत - खलिहान की बातें करती।

सालभर बाद राधा जचकी के लिए मायके आई। इस बार वह बहुत दिनों तक रुकने वाली थी। रानी को बहुत खुशी हुई। वह अक्सर राधा से मिलने आती।

राधा ने प्यारी-सी बिटिया को जन्म दिया। उसके ससुराल वाले थोड़े नाखुश दिखे। पर रानी बहुत खुश थी। वह घर से लड्डू बनाकर अस्पताल ले गई। अपने हाथों से सबको खिलाए। यह देख रानी की मां ने राधा से कहा- 'राधा, तेरे बिना रानी बहुत उदास हो जाती है। तेरे संग तो इसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। कोई अच्छा-सा लड़का देखकर इसे भी ले जा अपने गांव। फिर खूब साथ-साथ रहना।'

किस्मत से रानी का रिश्ता उसी गांव में तय हुआ। दोनों सहेलियां बहुत खुश हुईं। पर ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं रहीं। रानी की ससुराल में बहुत पाबंदियां थीं। उसे किसी से मिलने या बाहर जाने की मनाही थी। रानी तो राधा से मिलने के लिए तरस जाती।

एक दिन वे दोनों मंदिर में मिल गईं। वहीं तय कर लिया कि हर गुरुवार की शाम को मंदिर में मिला करेंगे। बस, फिर तो दोनों गुरुवार का इंतजार करतीं। मंदिर में मिलतीं और ढेर सारी बातें करतीं।

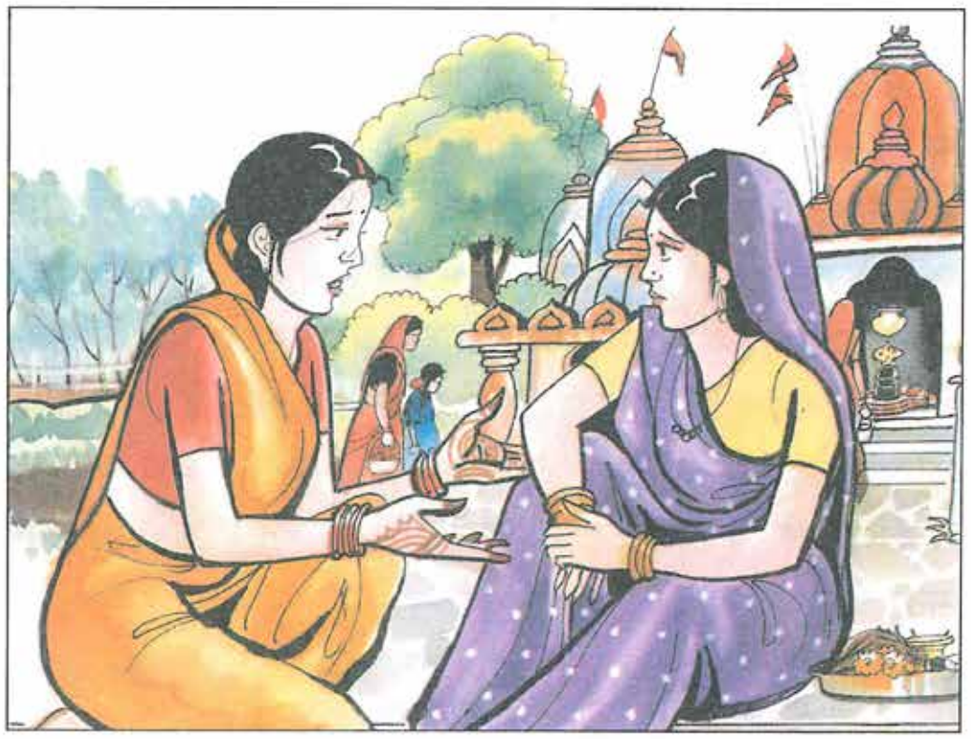

एक गुरुवार की शाम जब दोनों मंदिर में मिलीं तो दोनों ही उदास नजर आ रही थीं। हमेशा की तरह उनके चेहरों पर खुशी नहीं थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हुए राधा ने कहा- 'मुझे तुझसे कुछ कहना है रानी।'

'मेरे मन में भी एक परेशानी है राधा।' रानी बोली।

'परेशानी? कैसी परेशानी? बता न।'

'नहीं, पहले तू अपने मन की बात बता।'

'नहीं, तेरी परेशानी पहले दूर करनी है। तू बता।'

'अरे, ऐसे पहले-पहले में तो घर जाने का समय हो जाएगा। चल मैं ही बताती हूं। राधा, चार-पांच दिन पहले मैं बहुत खुश थी। जब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, रातभर उस नन्हे बच्चे के सपने आते रहे और अब तो मेरी सास मुझे डॉक्टर के यहां जांच कराने ले जाने वाली है। सास कहती है, पहले-पहल लड़का ही होना चाहिए। मैं जानती हूं, जांच करवाना गलत है। याद है वो डॉक्टर मैडम ने स्कूल में बताया था कि गर्भ में जांच करवाना गलत है, पर कैसे कहूं? क्या करूं? तू ही बता।' रानी ने अपने मन की बात रखी।

राधा ने सिर पकड़ते हुए कहा- 'हे भगवान। यही बात तो मेरे

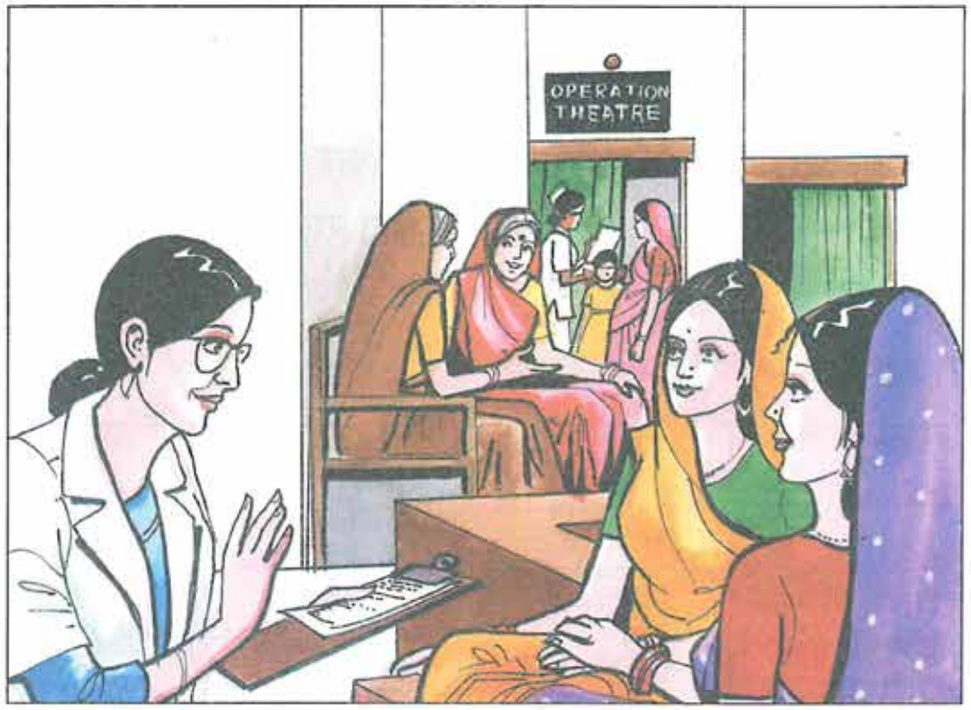

मन में थी। जो मैं कहना चाह रही थी। याद है, मुझे बेटी होने पर सब नाराज हो गए थे। कई दिनों तक ताने देते रहे और अब तो सब जांच कराने को कह रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। लड़की हुई तो... ? तो क्या हम उस गलत काम के लिए तैयार हो जाएंगे ? मैडम ने कहा था यह अपराध है। हम अपराधी नहीं बनेंगे रानी।'

रानी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा– 'नहीं राधा, चाहे जो हो जाए, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। शहर से महिला डॉक्टर तो सोमवार को ही आती हैं। हमारे परिवार वाले उसी दिन ले

जाएंगे दोनों को। कुछ सोच, कैसे बचें इस पाप से ?'

दोनों कुछ देर चुपचाप सोचती रहीं। फिर राधा ने रानी के कान में कहा– 'हम एक नहीं, दो हैं, हिम्मत रखना।' और दोनों घर चली गईं।

सोमवार को राधा को उसकी सास अस्पताल ले गई। वह बैंच पर बैठे-बैठे रानी का इंतजार करने लगी। कुछ देर में रानी की सास भी उसे लेकर आ गई।

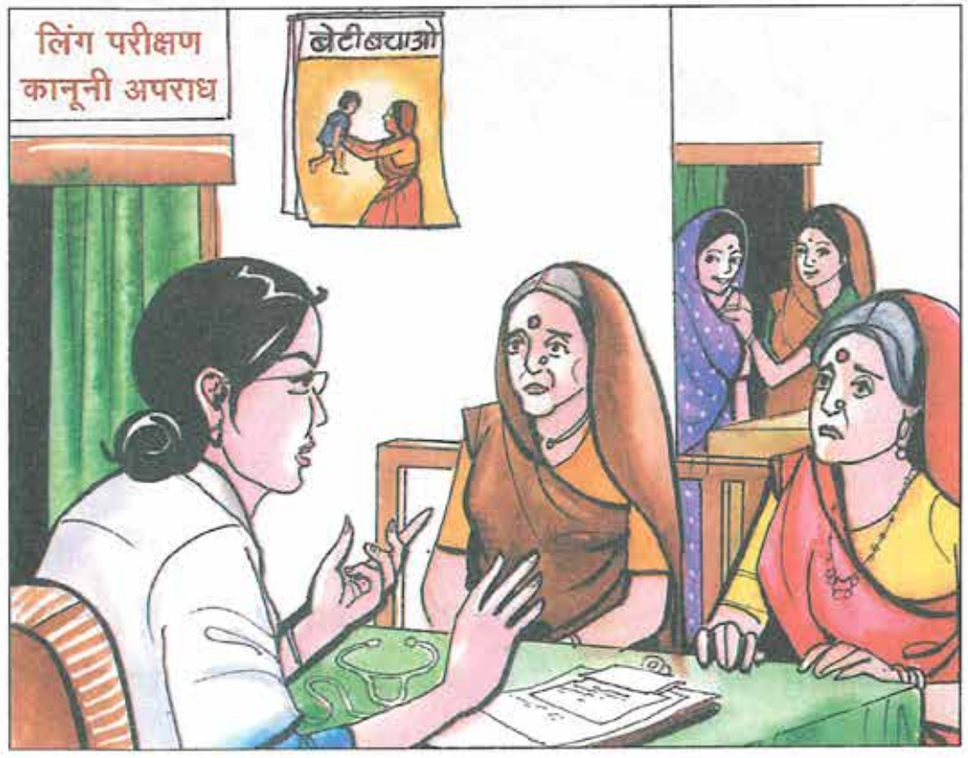

कुछ ही देर में डॉक्टर मैडम भी आ गईं। उन्हें देखकर दोनों चौंक गई। ये तो वही डॉक्टर मैडम थीं, जो स्कूल में आई थीं। दोनों ने एक-दूसरे का हाथ दबाया। अब तो बात बन जाएगी। अपना नंबर आने से पहले उनके चेहरे से घबराहट गायब हो गई थी। अब वे हौले-हौले मुस्कुरा रही थीं।

जांच करवाते समय सास साथ थी। इसलिए रानी कुछ बोल नहीं पाई। पर जब राधा को मौका मिला तो उसने डॉक्टर को मन की बात बता दी। डॉक्टर ने उसे सांत्वना दी और चुप रहने का इशारा किया। सास ने डॉक्टर को धीरे से गर्भ की जांच करने को कहा। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने रानी की सास को भी बुलाया। फिर दोनों को समझाया- 'संतान लड़का होगा या लड़की, यह ऊपरवाला तय करता है। गर्भ में लिंग की जांच करना या करवाना कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर आपको व मुझे सजा हो सकती है...।'

अंदर डॉक्टर समझा रही थी। बाहर दोनों सहेलियां गले मिल रही थीं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे।

❑

गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 व संशोधित 2003

कुछ वर्षों पूर्व गर्भ में भ्रूण की जांच करने की तकनीक विकसित हुई। यह तकनीक गर्भ के शिशु की शारीरिक/ मानसिक विकलांगता दूर करने हेतु उपयोगी है। इससे भ्रूण की जांच कर बीमारी का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद गर्भ में ही बीमारी का उपचार भी किया जा सकता है।

किंतु इस तकनीक का गलत उपयोग किया जाने लगा। लोग इसके उपयोग से गर्भ में शिशु के लिंग की जांच करवाने लगे। जांच में लड़की होने पर उसे गिराने जैसा अपराध भी करने लगे। जल्दी ही कन्या भ्रूण की हत्या करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या तेजी से कम होने लगी।

घटते लिंग अनुपात व तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। इसे गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 व संशोधित 2003 कहते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी प्रयोगशाला, जांच केन्द्र या क्लीनिक गर्भावस्था में शिशु का लिंग जानने के लिए किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर सकता। इस अधिनियम के अनुसार कुछ विशेष स्थितियों में ही जांच कराई जा सकती है।

निम्न स्थितियों में भ्रूण की जांच कानूनी मानी जाती है

- गर्भ के शिशु में गुणसूत्र (क्रोमोसोम) की अनियमितता हो।
- गर्भवती महिला को दो या अधिक बार अचानक गर्भपात हुआ हो।
- गर्भवती महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो।
- गर्भवती महिला ने कोई ऐसी दवाई ली हो या जांच करवाई हो, जिससे शिशु को शारीरिक या मानसिक विकलांगता हो सकती हो।
- गर्भवती महिला या उसके पति के परिवार में मानसिक या शारीरिक विकलांगता का इतिहास रहा हो। कोई आनुवंशिक बीमारी हो।

अधिनियम के तहत सजा

- यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से या किसी दबाव में आकर भ्रूण के लिंग का पता लगवाता है, तो वह अपराधी है। इस अपराध की सजा 3 साल की कैद या 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- लिंग की जांच करने वाले व्यक्ति या जांच केन्द्र के मालिक को

भी सजा होगी। यह सजा 3 साल की कैद या 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

- अपराध दोबारा करने पर अपराधी को पांच साल की कैद व 50,000 रुपए जुर्माना हो सकता है।
- जांच के बाद यदि डॉक्टर या कम्पाउण्डर लिंग बता देते हैं तो यह अधिनियम का उल्लंघन है। इसके लिए उन्हें भी सजा हो सकती है।
- डॉक्टर द्वारा यह अपराध किए जाने पर 5 वर्ष के लिए उसका पंजीकरण या पंजीयन रद्द किया जा सकता है। दोबारा अपराध करने पर हमेशा के लिए उसका पंजीयन रद्द करके उस डॉक्टर का नाम डॉक्टरों की सूची से हटा दिया जाएगा।
- लिंग जांच का विज्ञापन देना भी अवैध व गैर कानूनी है। इससे संबंधित विज्ञापन देने वाले व्यक्ति या केन्द्र को तीन साल की कैद व 10,000 रुपए जुर्माना हो सकता है।

एम.टी.पी. एक्ट 1971 (गर्भ का चिकित्सकीय समापन)

- लिंग जांच व उसके बाद गर्भपात करना दंडनीय अपराध है। किंतु कुछ स्थितियों में गर्भपात कराना कानूनन वैध है।
- ये स्थितियाँ एम.टी.पी. एक्ट 1971 (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ

प्रेगनेन्सी एक्ट) के अनुरूप हों। इस अधिनियम के अंतर्गत केवल गर्भावस्था के 12 सप्ताह के भीतर गर्भपात करवाया जा सकता है। निम्न स्थितियों में ही –

- गर्भावस्था के कारण माँ के जीवन को खतरा हो।
- बलात्कार के कारण गर्भ ठहर गया हो।
- परिवार नियोजन का कोई साधन असफल होने के कारण गर्भ ठहर गया हो।
- यदि शिशु विकलांग हो।

- गर्भपात गर्भावस्था के 12 सप्ताह के भीतर होना चाहिए। विशेष स्थितियों में दो डॉक्टरों की सलाह से 20 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। पांचवें महीने के बाद गर्भपात नहीं करवाया जा सकता।

हम क्या कर सकते हैं

- हम अपने परिवार में किसी के भी गर्भ में शिशु के लिंग की जांच न करवाएं।
- अपने रिश्तेदारों, मित्रों, पड़ोसियों को भी लिंग की जांच करवाने से रोकें।

- अपने आसपास कोई महिला लिंग की जांच के भय से भयभीत दिखे तो तुरंत उसकी मदद करें।
- डॉक्टर यह संकल्प लें कि वे कन्या भ्रूण हत्या का अपराध नहीं करेंगे।
- अगर अपने आसपास ऐसा होता देखें तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें।
- समूह में चर्चा कर बेटियों के प्रति सोच को बदलें।
- ग्राम सभा में बेटियों को बचाने का संकल्प दिलवाएं।
- गांव के सभी लोगों को कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जागरूक करें।
- किशोरियों को तैयार करें कि वे भावी जीवन में कभी लिंग की जांच करवाने का अपराध नहीं करेंगी।

❑

कानूनी साक्षरता शृंखला पुस्तिकाएं

शीर्षक	शृंखला क्रमांक
◆ **आंखे खुल गईं** (भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य)	1
◆ **और बात बन गई** (गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 व संशोधित 2003)	2
◆ **रमा की पाठशाला** (शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009)	3
◆ **गरिमा का सवाल** (यौन हिंसा के विरुद्ध कानून 2013)	4
◆ **दहेज परंपरा नहीं अभिशाप** (दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961)	5
◆ **आशा की किरण** (घरेलू हिंसा से संरक्षण 2005)	6
◆ **अब कोई भूखा न रहे** (खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)	7
◆ **अत्याचार का अंत** (अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989)	8
◆ **रमेश को मिला न्याय** (नि:शुल्क विधिक सहायता)	9
◆ **हमारे जंगल - हमारी धरोहर** (अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008)	10
◆ **यूं बनी सड़क** (भू-अधिग्रहण कानून 2013)	11
◆ **भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं**	12

साक्षर भारत

राज्य संदर्भ केंद्र

राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति

7-ए, झालाना संस्थान क्षेत्र, जयपुर-302004

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली 110001

वेबसाइट : www.mhrd.gov.in, www.Mygov.in